कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 1899 /XXV-31/2026 देहरादून दिनांक 23 अक्टूबर, 2026

आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2027 हेतु ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) तथा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 (SSR) के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 22 अक्टूबर, 2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित रहे :–

1. श्री अमेन्द्र सिंह बिष्ट, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
2. श्री राजकुमार पुरोहित, भारतीय जनता पार्टी।
3. श्री सतेन्द्र चोपड़ा, बहुजन समाज पार्टी।
4. श्री अनन्त आकाश, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी)।
5. श्री श्याम बाबू, आम आदमी पार्टी।

बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित वैधानिक प्रावधानों, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा Manual on Electoral Rolls, 2023 के प्रासंगिक अध्यायों की प्रतियाँ उपलब्ध कराई गईं। इसके अतिरिक्त, फॉर्म–7 प्रस्तुत करने की अधिकतम सीमा एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित आयोग के निर्देशों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराई गईं। बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हेतु ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) तथा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 (SSR) के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया।

बैठक में अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी 13 जनपदों में दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 से ईवीएम एवं वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जाँच प्रारम्भ की जाएगी। एफ.एल.सी. की प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था एवं तकनीकी मानकों के अनुसार सम्पन्न कराई जाएगी। एफ.एल.सी. का कार्य प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक, अवकाश के दिनों सहित, किया जाएगा। एफ. एल.सी. के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। यदि लगातार तीन दिनों तक किसी भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का प्रतिनिधि अथवा केवल एक राजनैतिक दल का प्रतिनिधि उपस्थित रहता है, तो सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को लिखित स्मरण–पत्र दिया जाएगा।

उपस्थित प्रतिनिधियों को एफ.एल.सी. के जनपदवार कार्यक्रम, मशीनों की उपलब्धता, सुरक्षा एवं प्रवेश व्यवस्था, मशीनों की कार्यक्षमता की जाँच, मॉक पोल, लोड टेस्ट तथा वीवीपैट पर्चियों एवं कंट्रोल यूनिट की गणना के मिलान की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। एफ.एल.सी. में सफल घोषित मशीनों की सूची राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने तथा उनकी पावती प्राप्त करने के संबंध में भी जानकारी दी गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने दिनांक 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित विशेष अभियान के दौरान राज्य में कुल 1,00,744 फॉर्म–6 आवेदन प्राप्त होने की सूचना उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 संचालित किया जाएगा। साथ ही, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2027 की आगामी अर्हता तिथियों के आधार पर पात्र होने वाले नागरिकों से अग्रिम आवेदन भी प्राप्त किए जाएँगे, जिनका निस्तारण संबंधित अर्हता तिथि के अनुसार नियमानुसार किया जाएगा। आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

S.No.	Activity	Period
1.	Rationalization/Re-arrangements of Polling Stations.	By 02-11-2026
2.	Publication of Integrated draft electoral roll	12-11-2026
3.	Period for filing claims and objections	12-11-2026 to 11-12-2026
4.	Disposal of claims and objections	By 28-12-2026
5.	Final Publication of electoral roll	04-01-2027

बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य में मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण का कार्य पूर्व में ही सम्पन्न हो चुका है तथापि आयोग के निर्देशानुसार पुनः शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापन के उपरान्त तैयार प्रारूप सूची पर जनपद स्तर पर राजनैतिक दलों के साथ चर्चा कर निर्धारित समय–सीमा में प्रस्ताव दिनांक 26 अक्टूबर, 2026 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजे जाएँगे।

बैठक में फॉर्म–7 के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार, दावे एवं आपत्तियों की पूरी अवधि में किसी व्यक्तिगत मतदाता द्वारा अधिकतम 10 आवेदन तथा निर्वाचक नामावली के सतत अद्यतन की अवधि में प्रति माह अधिकतम 5 आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रस्तुतीकरण में BLA द्वारा BLO को आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित दैनिक सीमा के संबंध में भी जानकारी दी गई। यह स्पष्ट किया गया कि ब्लक आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित परिस्थितियों में विलोपन संबंधी मामलों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन किया जाएगा। झूठे अथवा मनगढ़ंत आवेदन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पात्र नागरिकों के पंजीकरण को बढ़ावा देने हेतु दिनांक **21 नवम्बर एवं 28 नवम्बर, 2026 को विशेष अभियान दिवस** निर्धारित किए गए हैं। इन अभियानों में प्रवासी नागरिकों, कमजोर एवं वंचित वर्गों, युवाओं, छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों, श्रमिकों, बेघर व्यक्तियों तथा विवाहित महिलाओं सहित लक्षित वर्गों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया कि वे दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 तक प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल एजेंट (BLA) की नियुक्ति सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजनैतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित करने तथा प्रारूप निर्वाचक नामावली, दावे–आपत्तियों की सूचियाँ एवं अंतिम निर्वाचक नामावली साझा करने के संबंध में भी जानकारी दी गई। निर्वाचक नामावली की शुद्धता सुनिश्चित करने, पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने, गलत विलोपन रोकने तथा अपील की वैधानिक व्यवस्था के संबंध में भी प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।

बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्सवादी) के प्रतिनिधि द्वारा वर्तमान में राज्य में संचालित जनगणना कार्य में तैनात किये जाने वाले बीएलओ को उसी क्षेत्र में तैनात किये जाने काअ अनुरोध किया गया, जिस क्षेत्र का वह बीएलओ है। इसके अतिक्ति उनके द्वारा विशेष अभियान के दौरान बीएलओ को मतदेय स्थल पर उपस्थित रहकर पात्र मतदाताओं के ऑफ लाईन प्रारूप प्राप्त करने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा सभी उपस्थित प्रतिनिधियों से एफ.एल.सी. एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–2027 की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया, ताकि निर्वाचन संबंधी कार्यवाही पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सम्पन्न हो सके।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 1899/ **XXV-31/2026 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रदेश अध्यक्ष/महासचिव/सचिव, मान्यता प्राप्त समस्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यालय प्रति।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विधान सभा निर्वाचक नामावली का 01 जनवरी, 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षित पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं एफ.एल.सी. के संबंध में दिनांक 22 अक्टूबर, 2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की उपस्थिति

उपस्थित प्रतिनिधियों को निम्न सूचनाएं/सामग्री उपलब्ध करायी गयी :–

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 से 25 तक के उद्धरण।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 के नियम 1 से 27 तक के उद्धरण।
3. Manual on Electoral Roll, 2023 का अध्याय 7 (Determination of Citizenship)
4. Manual on Electoral Roll, 2023 का अध्याय 11 (Revision Process)
5. फार्म–7 की जमा किये जाने की उचित सीमा निर्धारण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 23/Inst/2026-ERS Dated 09th October, 2026
6. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का पत्र संख्या 23/2026-ERS Dated 15th October, 2026
7. Status of Form-6 Received During Special Drive (12-10-2026 To 20-10-2026)

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	दल सम्बद्धता	मोबाईल नम्बर	ईमेल आई.डी.	उपस्थिति/ प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर
1	अनन्त Nath	CPI(M)	9410365899		
2	श्याम बाबू पाण्डेय	AAP	9411106685		
3	अमेन्द्र मिश्र	INC	8979132677		
4	सतेन्द्र चौरसिया	B.S.P.	9368654936		
5	राजकुमार पुरोहित	BJP	9412976332		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					